



CENTRAL SCIENTIFI INSTRUMENTS ORGANISATION
(A constituent laboratory of CSIR)

Section-30/C, Chandigarh-160 030 (India)

Phones: 2651722-28/Extn:220-435

CORRIGENDUM

TENDER NOTICE FOR SALE OF UNSERVICEABLE/SURPLUS/SCRAP ETC.

Director, CSIO, Chandigarh propose to dispose off the Unserviceable/Surplus/Scrap etc., through public auction as per following schedule.

Material to be inspected by bidders	Date and time of Auction	Caution money to be submitted
9.00 A.M. To 4.30 P.M. on 22.09.2008 & 23.09.2008 till 10.30 A.M. (in place of 09.09.2008 & 10.09.2008)	23.09.2008 at 11:30 A.M. (in place of 10.09.2008)	Rs. 50,000.00

Only those bidders will be allowed to participate in the auction who submit the Caution Money by Demand Draft/Banker Cheque/Cash before the auction is started. Caution Money will be received till 11.00 A.M. Documents containing the Terms and Conditions, can be downloaded from our website www.csio.res.in.

Stores & Purchase Officer

शुद्धिपत्र

बेकार/अधिशेष/रद्दी इत्यादि की बिक्री हेतु निविदा सूचना

उपरोक्त सामग्री की सार्वजनिक नीलामी के संबंध में दिनांक 30.08.2008 को प्रकाशित सूचना के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नीलामी की तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है:

बोलीकर्ताओं द्वारा सामग्री की जांच	नीलामी की तिथि एवं समय	जमा करवाई जाने वाली जमानत राशि
22.09.2008 को प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.30 बजे तक और 23.09.2008 को प्रातः 10.30 बजे तक (दिनांक 09.09.2008 एवं 10.09.2008 के स्थान पर)	दिनांक 23.09.2008 को प्रातः 11.30 बजे (दिनांक 10.09.2008 के स्थान पर)	रूपये 50,000.00

जमानत राशि दिनांक 23.09.2008 (प्रातः 11.00 बजे) तक प्राप्त की जाएगी। अन्य निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन्हें संगठन की वेबसाइट "<http://www.csio.res.in>" से डाउनलोड किया जा सकता है।

भंडार एवं क्रय अधिकारी

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
सैक्टर 30 चण्डीगढ़ 160030

केन्द्रीय भण्डार

सं. सीएसआइओ/4(69)/स्टोर-2007-08

दिनांक : 05.09.2008

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, सैक्टर – 30सी, चण्डीगढ़ में
बेकार/अधिशेष/रद्दी इत्यादि की बिक्री हेतु निबंधन एवं शर्तें

1. सामग्री 'जहां है – जैसे है' के आधार पर बिक्री के लिए प्रस्तावित है। सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क एवं करों का भुगतान अलग से करना होगा।
2. बोलीकर्ता नीलाम की जाने वाली सामग्री की स्थिति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए दिनांक 9.9.2008 को प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 4.30 बजे तक तथा दिनांक 10.9.2008 को प्रातः 10.30 बजे तक श्री एस. के. शर्मा, अनुभाग अधिकारी (भंडार एवं कय), दूरभाष : 0172-2651722, 2651728 (एक्स. 220/435) से पहले से समय लेकर सामग्री को देख सकते हैं।
3. सामग्री का निपटान सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाएगा तथा नीलामी में केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जो बोली से पूर्व जमानत राशि (Caution Money) के रूप में निदेशक, सीएसआइओ के पक्ष में आहरित रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट अथवा नकद राशि जमा करवाएंगे। नीलामी दिनांक 23-09-08 को प्रातः 11.30 बजे सीएसआइओ सामुदायिक केन्द्र, चण्डीगढ़ में शुरू होगी।
4. सफल बोलीकर्ता को कुल निर्धारित राशि का 25% बयाने के रूप में तुरंत जमा करवाना होगा, जमानत राशि को इस राशि में समायोजित किया जाएगा। असफल बोलीकर्ताओं को जमानत की राशि नीलामी के तुरंत बाद लौटा दी जाएगी। सफल बोलीकर्ता को शेष 75% राशि 5 दिन के भीतर जमा करवानी होगी तथा इसके बाद सामग्री उन्हें सौंप दी जाएगी।
5. सामग्री को किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक पूरी राशि जमा करवाने के बाद ही उठावाया जा सकेगा। निपटान की गई सामग्री की सीएसआइओ परिसर में छंटाई आदि की अनुमति नहीं होगी।
6. बोलीकर्ता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सामग्री ले जाने की अनुमति होगी।
7. प्रयोगशाला को बिना कारण बताए किसी भी समय किसी सामग्री की बिक्री को रोकने का अधिकार है।
8. बोलीकर्ता द्वारा दिए गए पते को बोलीकर्ता का पता माना जाएगा तथा इस पते पर भेजी गई डाक के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि बोलीकर्ता को डाक प्राप्त हो गई है। डाक के प्राप्त हुए बिना बापिस आने की स्थिति में जमा राशि के जब्त होने पर इस संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. निदेशक, सीएसआइओ को नीलामी के दौरान समस्या उत्पन्न करने वाले, दुर्व्यवहार करने अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले बोलीकर्ता को बोली से रोकने का अधिकार है।

भंडार एवं कय अधिकारी

**CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION
SECTOR 30-C, CHANDIGARH**

No. CSIO/4(69)/Stores-2007-08

Dated: 05.09.2008

**TERMS & CONDITIONS FOR THE DISPOSAL OF M.S./IRON SCRAP AT CSIO, SECTOR 30-C, CHANDIGARH-160
020**

1. The material(s) offered for disposal is on "AS IS WHERE IS & WHAT IS BASIS" Ex-Godown in unpacked condition. Taxes & duties that may be levied by the Govt. will be extra as applicable.
2. The bidder may inspect the material intended to be disposed off on 9.00 A.M. To 4.30 P.M. on 09.09.2008 & 10.09.2008 till 10.30 A.M. by prior appointment with Shri S.K. Sharma, Section Officer (S&P) Stores Tele: 0172-2651722, 2651728 Ext. 220/435) to satisfy themselves about the condition of the material being offered.
3. The material will be disposed off by public auction and only those bidders would be allowed to participate in the auction, who will deposit the Caution Money of Rs.50,000/-(Rupees fifty thousand only) by demand draft/Banker Cheque payable in favor of Director, CSIO, Chandigarh, or by cash to be deposited with the laboratory before the auction process is started. The auction would be started at 11.30 A.M. on 23.09.2008 at CSIO, Community Centre, Chandigarh..
4. An EMD of 25% has to be paid by the successful bidder(s) at the fall of hammer after adjustment of Caution Money. The caution money of unsuccessful bidders shall be refunded immediately after auction. The successful bidder(s) shall pay the balance 75% within 5 days and the material will be handed over to them.
5. The materials will be allowed to be lifted between 10.00 A.M. to 4.00 P.M. on any working days only after the full payment is deposited. No picking, choosing or sorting will be allowed in the premises for the disposed lots.
6. The person authorized by the bidder will be allowed to take delivery.
7. The Lab reserves the right of withdrawing from the sale of any material or lots at any stage without assigning any reasons therefor.
8. The address given by the Bidder shall be deemed to be the Bidder address and correspondence sent on that address shall be considered to have been delivered to the bidder. No claim will be entertained for the reason of forfeited of the sum deposited in case the correspondence is returned back undelivered.
9. Director, CSIO reserve the right to bar any of the bidder who try to create any sort of trouble misbehave or use harsh language during the auction.

Stores & Purchase Officer